**परिवहन निगम मुख्यालय**
**लखनऊ**

पत्रांक :– 298 / एलएएस / 2020–492 / एलएएस / 2019 दिनांक– 15 फर0 2020

1. समस्त प्रधान प्रबन्धक
परिवहन निगम, मुख्यालय
लखनऊ।

2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम।

3. प्रबन्धक (कार सेक्शन)
उ0प्र0परिवहन निगम।

4. समस्त सहायक विधि अधिकारी/
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (का0)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय :–**<u>मोटर दुर्घटना वादों की सुदृढ़ पैरवी हेतु समुचित साक्ष्य संकलित कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

मोटर दुर्घटना अधिकरण द्वारा क्लेम वादों में पारित किये जा रहे एवार्ड्स/निर्णयों का परिशीलन करने पर प्रकाश में आया है कि निगम वाहन से दुर्घटना होने पर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी(एफ0आई0आर0) तक दर्ज नहीं करायी जा रही है । क्लेम वादों में निगम की ओर से समुचित साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण शत–प्रतिशत मामलों में निगम के विरुद्ध एवार्ड पारित हो रहे हैं। निगम की ओर से साक्ष्य हेतु मात्र चालक/परिचालक को प्रस्तुत कराया जाता है , जिन्हें हितबद्ध साक्षी मानते हुए अधिकरण उनके साक्ष्यों को ग्राह्य नहीं करती। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अतः दुर्घटना होने पर निगम की ओर से स्वतन्त्र साक्ष्य जुटाने तथा दुर्घटना वादों की समुचित पैरवी करने हेतु निम्नवत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये :–

1– दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही दुर्घटना स्थल के नजदीकी डिपो के स0क्षे0प्र0 का दायित्व होगा कि वह नजदीकी इण्टर–सेप्टर वाहन (जिसे इस कार्य हेतु ए0डी0वी अर्थात एक्सीडेण्ट डाक्यूमेन्टेशन व्हीकल कहा जायेगा ) को दुर्घटना स्थल पर तत्काल पहुँचने हेतु निर्देशित करने के साथ–साथ स्वयं भी दुर्घटना स्थल पर पहुॅचेगे तथा निम्नवत बिन्दुवार कार्यवाही सम्पादित/अभिलेखित करेंगे :–

अ) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने की तिथि/समय एवं स्रोत तथा दुर्घटना स्थल पर पहुॅचने का समय।

ब) घायल/मृतकों की संख्या/नाम/उम्र/पता की सूची तैयार करना एवं घायलों को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

स) दुर्घटना स्थल पर बिना दुर्घटना वाहन को हटाये प्रत्येक कोण से फोटोग्र करना तथा आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करना।

द) दुर्घटना स्थल का मानचित्र तैयार करना।

य) चक्षुदर्शी साक्षियों का नाम/पता/मो0न0 नोट करना तथा बयान लेना।

र) थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराना।

ल) चालक/परिचालक का बयान अभिलिखित करना तथा दुर्घटना प्रारुप के समस्त कॉलम/बिन्दुओ में दुर्घटना का विवरण दर्ज करना।

उपरोक्त सूचनायें संकलित कर ए0डी0वी मे तैनात अधिकारी/उपाधिकारी एवं स0क्षे0प्र0 डिपो संयुक्त हस्ताक्षर से बिन्दुवार विवरण 15 दिनो के अन्दर वाहन से सम्बन्धित डिपो एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित करेगा। एफआईआर की एक प्रति प्रधान प्रबन्धक (दुर्घटना) परिवहन निगम मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

2— यदि किन्ही कारणोंवश ए0डी0वी0 थाने में एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज कराने में असफल रहता है तो सम्बन्धित स0क्षे0प्र0 डिपो का दायित्व होगा कि वह तत्काल ही अपने स्तर से एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रधान प्रबन्धक (दुर्घटना) परिवहन निगम मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

3— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो का दायित्व होगा कि वह हर पखवाड़े अपने क्षेत्र के थानों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि किसी ऐसे निगम वाहन के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हुई है अथवा जिसकी सूचना किसी स्तर से प्राप्त न हुई हो। यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसे वाहन से सम्बन्धित डिपो के स0क्षे0प्र0 को सूचित करेंगे। सम्बन्धित स0क्षे0प्र0 डिपो का दायित्व होगा कि वह वाहन की वी0टी0एस0रिपोर्ट, चालक ड्यूटी स्लिप, चालक/परिचालक के बयान एवं ईटीएम रिपोर्ट इत्यादि अन्य सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित करें। उक्त अभिलेखों को सम्बन्धित डिपो के केन्द्र प्रभारी प्रमाणित करेंगे तथा क्लेम वाद योजित होने पर उसे आवश्यकतानुसार न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित करेंगे।

4— बीमा कम्पनी की भॉति परिवहन निगम में सभी जनपदों में सर्वेयर रखे जायेंगे। सर्वेयर का कार्य एवं दायित्व निम्नवत होगा :—

अ) दुर्घटना से सम्बन्धित एफआईआर , आरोप पत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति केस डायरी की छायाप्रति थाने से सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त करना।

ब) दुर्घटना स्थल का सत्यापन करना।

स) याची/याचीगणों का सत्यापन करना।

द) चोटिल/मृतक एव उनके आश्रितों का सत्यापन करना।

य) इन्जरी रिपोर्ट/दवा—इलाज की रसीदों का सत्यापन।

र) विकलांगता प्रमाणपत्र का सत्यापन।

ल) मृतक/घायल की नौकरी/व्यवसाय से सम्बन्धित प्रमाणपत्रों का सत्यापन।

Page-2

व) दो वाहनों के टक्कर के मामले में निगम एवं अन्य वाहन के सभी दस्तावेज (आर0सी0,डी0एल0,फिटनेस, बीमा इत्यादि) का सत्यापन करना।

उक्त समस्त जानकारी संकलित कर 30 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगे।

5– जिन क्लेम वादों में चालक/परिचालक दुर्घटना होने से इन्कार /अनभिज्ञता प्रकट करते है, ऐसे मामलो में :–

अ) सर्वेयर, मृतक/घायल के सम्बन्ध में तथा दुर्घटना की सत्यता के सम्बन्ध में जानकारी संकलित कर 30 दिन के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा।

ब) दुर्घटना न होने के बावजूद एफआईआर दर्ज किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित चालक तत्काल अपने स0क्षे0प्र0 के माध्यम से सम्बन्धित जिले के एस0पी0/एस0एस0पी0 को कथित दुर्घटना में अपनी संलिप्तता न होने के सम्बन्ध में सूचित कर उसकी निष्पक्ष जॉच हेतु अनुरोध करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद, साक्ष्य हेतु सुरक्षित की जायेगी।

6– जिन दुर्घटनाओं में अन्य वाहन की उपेक्षा/असावधानी के कारण निगम वाहन में गम्भीर क्षति होती है, ऐसे मामलो में क्षति के मुआवजे हेतु आक्रामक वाहन के मालिक एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध निगम की ओर से क्लेम वाद दाखिल कराया जाय। ऐसे मामलों में क्षति से सम्बन्धित पूर्ण विवरण तथा उसकी पुष्टि हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व डिपो के फोरमैन/केन्द्र प्रभारी का होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक